दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

निर्णय की तिथि: 04.03.2024

रि.या.(आप.) 748/2024

सुजीत कुमार सिंह ..... याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री दीपांशु बैंसला, श्री अभिषेक खारी और श्री गौरव त्यागी, अधिवक्तागण

बनाम

कारागार महानिदेशक,

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार ..... प्रत्यर्थी

द्वारा: श्री अमोल सिन्हा, अति.स्था.अधि. (आप.) के साथ श्री क्षितिज गर्ग, श्री अश्विनी कुमार, सुश्री छवि एल अजरस और श्री अर्जुन सिंह कादियान, अधिवक्तागण के साथ निरीक्षक संदीप, पुलिस थाना रनहोला

कोरम:

माननीय न्यायमूर्ति श्री अनूप कुमार मेंदीरत्ता

<u>निर्णय</u>

अनूप कुमार मेंदीरत्ता, न्या. (मौखिक)

आप.वि.आ. 7001/2024

छूट की अनुमति, केवल अपवादों के अधीन है।

आवेदन का निपटान कर दिया गया है।

रि.या.(आप.) 748/2024

1. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (सि.प्र.स) की धारा 482 सहपठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिकाकर्ता की ओर से याचिका को प्राथमिकता दी गई है, जिसमें प्रत्यर्थी को जमानत आवेदन संख्या 479/2024 के संबंध में दिनांक 14.02.2024 के आदेश में अंतरिम जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया गया था, जिसके तहत याचिकाकर्ता को संबंधित जेल अधीक्षक की संतुष्टि पर और उक्त आदेश में बताई गई शर्तों के तहत, 25,000/- रुपये की राशि की जमानतनामा के साथ दो जमानतदारों को प्रस्तुत करने पर एक सप्ताह की अवधि के लिए जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया गया था।

2. नोटिस जारी किया गया। राज्य के लिए विद्वान अति.स्था.अधि.अग्रिम सूचना पर उपस्थित हुए और नोटिस स्वीकार किए।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता को वर्तमान याचिका दायर करने के लिए विवश किया गया है क्योंकि याचिकाकर्ता को दिनांक 14.02.2024 के आदेश के बावजूद जमानत पर रिहा नहीं किया गया है और अंतरिम जमानत के उद्देश्य को विफल करता है। यह भी बताया गया है कि 16.02.2024 को प्रस्तुत प्रतिभूति बंधपत्र को कई आपत्तियाँ उठाने के बाद जेल अधीक्षक द्वारा केवल 17.02.2024

को सत्यापन के लिए स्वीकार किया गया था। इसके अलावा, विभिन्न पुलिस थानों के साथ समन्वय करने के प्रयासों के बावजूद, याचिकाकर्ता वर्तमान याचिका दायर करने तक हिरासत में रहा।

4. राज्य के लिए विद्वान अति.स्था.अधि. की ओर से स्थिति रिपोर्ट दायर की गई है और यह आग्रह किया गया है कि देरी हुई है क्योंकि प्रतिभूति और सत्यापन रिपोर्ट क्रमशः 26.02.2024 और 28.02.2024 को प्राप्त हुई। इसके अलावा, 29.02.2024 को टेलीफोन पर जमानतदारों से संपर्क करने का प्रयास किया गया और उसके बाद याचिकाकर्ता को 01.03.2024 को रिहा कर दिया गया।

5. जमानत स्वीकृत किए जाने के बावजूद अभियुक्तों/दोषसिद्धियों/विचारणाधीन कैदियों की रिहाई में होने वाले गैरकानूनी विलंब को दूर किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि यह विचारणाधीन कैदियों/दोषसिद्ध कैदियों की स्वतंत्रता के अधिकारों से जुड़ा हुआ है। यदि अत्यावश्यकताओं पर विचार किए बिना जमानतदारों के सत्यापन के उद्देश्य से पर्याप्त समय बर्बाद किया जाता है, तो अंतरिम जमानत/जमानत का उद्देश्य ही निष्फल हो जाता है।

6. न्यायालय द्वारा जमानत आदेश जारी किए जाने के बाद, राज्य बिना किसी अड़चन या देरी के जल्द से जल्द अभियुक्त/दोषी की सुचारू रिहाई सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है। यह न्यायालय इस तथ्य से अवगत है कि प्रतिभूति बंधपत्र के भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया में पुलिस अधिकारियों के कर्मचारियों की कमी या अधिक काम के कारण कुछ समय लग सकता है, लेकिन प्रतिभूति बंधपत्र के सत्यापन में देरी दो सप्ताह की अवधि तक बढ़ने की स्थिति में इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। किसी भी तरह से कैदी/जमानतदार के

शोषण से बचने के लिए सख्त समय-सीमा के भीतर, समयबद्ध तरीके से स्थानीय प्रतिभूति बंधपत्र का सत्यापन सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

7. याचिकाकर्ता की पत्नी की शल्यक्रिया चिकित्सा के आधार पर वर्तमान मामले में अंतरिम जमानत देने का उद्देश्य प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ है, क्योंकि दिनांक 14.02.2024 के जमानत आदेश का अनुपालन 01.03.2024 को किया जा सका।

तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, पुलिस आयुक्त, दिल्ली द्वारा आवश्यक निर्देश जारी किए जाएं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सत्यापन के लिए अग्रेषित किए जाने वाले स्थानीय प्रतिभूति बंधपत्र का सख्त समय-सीमा के भीतर बिना किसी देरी के जल्द से जल्द वापस कर दिए जाएं और अधिमानतः अगले दिन तक। महानिदेशक (कारागार) को यह भी निर्देश दिया जाता है कि वह जमानतनामा पर कानून के अनुसार और अनावश्यक आपत्तियां उठाए बिना शीघ्रता से विचार करने के लिए जेल अधीक्षक को और अधिक संवेदनशील बनाएं।

तदनुसार, याचिका का निपटान किया जाता है। लंबित आवेदन, यदि कोई हों, तो उसका भी निपटान किया जाता है।

इस आदेश की एक प्रति अनुपालन के लिए पुलिस आयुक्त, दिल्ली के साथ-साथ महानिदेशक (कारागार) को भेजी जाए और की गई कार्रवाई रिपोर्ट दो सप्ताह के भीतर अग्रेषित की जाए।

(अनूप कुमार मेंदीरत्ता)

न्यायाधीश

मार्च 04, 2024*/एकेसी/एसडी*

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*